



भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्,
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था)
डाकघर : कृषि उपज मण्डी, न्यू पाली रोड, जोधपुर - 342005

ARID FOREST RESEARCH INSTITUTE

Indian Council of Forestry Research & Education,

(An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India)

P.O. Krishi upaz Mandi, New Pali Road, Jodhpur- 342005

क्रमांक-534-शुवअसं/भंडार/18(147)6/2021

दिनांक: 7 जून, 2021

सेवा में,

.....,
.....,
.....

विषय:- वातानुकूलित संयंत्रों की सर्विस एवं मरम्मत कार्य के कोटेशन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में वातानुकूलित संयंत्रों की सर्विस एवं मरम्मत कार्य हेतु नीचे दी हुई शर्तों के अधीन निदेशक को संबोधित करते हुए मुहरबंद लिफाफे में कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। विषय लिखा हुआ लिफाफा इस कार्यालय में दिनांक 04.07.2022 को कोटेशन खुलने तक प्राप्त हो जाना चाहिये। नियत दिनांक 04.07.2022 को 4.00 बजे प्राप्त कोटेशन खोले जायेंगे। अगर आप इच्छुक हों तो कोटेशन खुलने के समय स्वयं अथवा अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं।

| क्र. सं. | सामग्री/कार्य का विवरण तथा विशिष्टियाँ | अनुमानित मात्रा |
|----------|--|-----------------|
| 1 | Repairing Work of Air Conditioner | List Enclosed |

शर्त:-

1. वातानुकूलित संयंत्रों का सर्विस कार्य आवश्यकतानुसार करवाया जायेगा।
2. वातानुकूलित संयंत्रों का सर्विस कार्य एवं मरम्मत कार्य की एक वर्ष की अवधि कायदेश/दर अनुबन्ध आदेश जारी तिथि से लागू माना जायेगा।
3. वातानुकूलित संयंत्रों का सर्विस कार्य एवं मरम्मत कार्य की शर्तें संलग्न है।
4. जिस फर्म को कायदेश/दर अनुबन्ध आदेश जारी किया जायेगा, उस फर्म को जमानत राशि के रूप में 10,000/- (अक्षरे दस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के नाम बना कर 07 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जाना होगा। जमानत राशि कार्य संतोषजनक रूप से किये जाने पर कार्यावधि समाप्ति के बाद लौटा दी जायेगी।
5. कायदेश/दर अनुबन्ध आदेश जारी होने के बाद कार्य को करने से मना करने, संतोषजनक कार्य नहीं करने पर जमा जमानत राशि को जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी एवं द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली फर्म की कुल राशि की अन्तर राशि भी वसूल करने एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

आवक क्र./Inward No. 61/IT/AFRI/Jw/.....

दिनांक/Dated: 20/06/2022

शर्तें

1. वातानुकूलित संयंत्रों का सर्विस कार्य एवं मरम्मत कार्य एक वर्ष की अवधि के लिए है।
2. वातानुकूलित संयंत्रों का सर्विस कार्य एक वर्ष की अवधि में आवश्यकता होने पर ही करवाया जायेगा।
3. वातानुकूलित संयंत्र के केवल सर्विस कार्य करने पर विजिटिंग चार्ज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. इस कायदेश/दर अनुबन्ध आदेश हेतु आपकी फर्म को जमानत राशि के रूप में 10,000/- (अक्षरे दस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के नाम बना कर इस आदेश की जारी तिथि से 07 दिन के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना है।
5. कायदेश/दर अनुबन्ध आदेश जारी होने के बाद कार्य को करने से मना करने, संतोषजनक कार्य नहीं करने पर जमा जमानत राशि को जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी एवं द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली फर्म की कुल राशि की अन्तर राशि आपकी फर्म से वसूल करने एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
6. संस्थान के किसी भी वातानुकूलित संयंत्र के कार्य करने के लिए संबंधित प्रभाग एवं अनुभाग के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सूचित किये जाने पर उसी दिन या अगले दिन तक संयंत्र की जांच कर संयंत्र के कार्य को किया जाना है। संबंधित प्रभाग/अनुभाग के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को मरम्मत कार्य का विपत्र प्रस्तुत करेंगे, जिस पर संबंधित प्रभाग/अनुभाग के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी आवश्यक स्वीकृति लेकर प्रविष्टि कर लेखा अनुभाग में भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगे।
7. वातानुकूलित संयंत्रों में बदली किये जाने वाले एवं नये लगाये जाने वाले पार्ट्स इत्यादि के मैक/सिरियल नम्बर का कार्य रिपोर्ट एवं विपत्र में उल्लेख किया जाना है।
8. वातानुकूलित संयंत्रों में लगने वाली नयी मोटर एवं कम्प्रेसर की गारन्टी का उल्लेख कार्य रिपोर्ट विपत्र में किया जाएगा।
9. वातानुकूलित संयंत्र या उसके किसी पार्ट्स को संस्थान से बाहर ले जाने हेतु गेट पास संबंधित प्रभाग/अनुभाग से जारी करवाना होगा।
10. वातानुकूलित संयंत्र की सर्विस एवं मरम्मत कार्य हेतु प्रयोग लगाये जाने वाले समस्त सामानों (अडाण/औजार/मशीने) की व्यवस्था आप द्वारा की जायेगी।
11. कायदेश की जारी तिथि के पश्चात फर्म को तुरन्त कार्य शुरू किया जाना होगा। कार्य हेतु दूरभाष/मोबाईल पर बताने के बाद मैकेनिक को नहीं भिजवाने पर प्रतिदिन 200/- के हिसाब से राशि फर्म के विपत्र से काटी जायेगी।
12. विजिटिंग/सर्विस चार्ज जिस तारीख को वातानुकूलित संयंत्र की जांच की जायेगी, उस तारीख से अगले 10 दिन के लिए मान्य होगा। दस दिन की अवधि में उस वातानुकूलित संयंत्र में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर उसे ठीक किया जाना होगा। एक वातानुकूलित संयंत्र की जांच का एक विजिटिंग/सर्विस चार्ज ही देय होगा।
13. कम संख्या A से V के कार्यों/सामानों की दर के लिए जो दर दर्शायी जायेगी, उनका योग करने पर जो न्यूनतम दर होगी, उसी फर्म को कार्य हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
14. कार्य आदेश जारी होने के साथ जो भी शर्तें दी जायेगी- वह फर्म को मान्य होगी।

उक्त शर्तें मान्य है।

कय अधिकारी
शुवअसं, जोधपुर

(फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

| Q | Copper Piping, Insulation & Wire | | |
|---|---|---------|--|
| 1 | 1.5 Ton Split Air Conditioner (Feet) | 01 Nos. | |
| 2 | 2 Ton Split Air Conditioner (Feet) | 01 Nos. | |
| 3 | 3 Ton Multi Split Air Conditioner (Feet) | 01 Nos. | |
| R | Other Wiring (Extra Wire Cable 3 core 2.5 sq.mm (Feet) | 01 Nos. | |
| S | Repairing of PCP of Split & Multi Split Air Conditioner | 01 Nos. | |
| T | Other Work | | |
| 1 | Repair of Drain | 01 Nos. | |
| 2 | New Outdoor Stand | 01 Nos. | |
| 3 | Replacement of Drain Pipe | 01 Nos. | |
| 4 | Replacement of Reley | 01 Nos. | |
| V | Complete Servicing | | |
| 1 | Complete Servicing with Discalling Chemical ,Cleaning of Cooling Coil, Condenssor Coil, Oiling of Fan Motor, Checked all wiring & Performance Testing for 1.5 Ton Window Air Conditioner | 01 Nos. | |
| 2 | Complete Servicing with Discalling Chemical ,Cleaning of Cooling Coil, Condenssor Coil, Oiling of Fan Motor, Checked all wiring & Performance Testing for 2 Ton Window Air Conditioner | 01 Nos. | |
| 3 | Complete Servicing with Discalling Chemical ,Cleaning of Cooling Coil, Condenssor Coil, Oiling of Fan Motor, Checked all wiring & Performance Testing for 1.5 & 2 Ton Split Air Conditioner | 01 Nos. | |
| 4 | Complete Servicing with Discalling Chemical ,Cleaning of Cooling Coil, Condenssor Coil, Oiling of Fan Motor, Checked all wiring & Performance Testing for Multi Split Air Conditioner | 01 Nos. | |

Purchase Officer
 Arid Forest Research Institute
 Jodhpur

| | | | | |
|---|--|---------|--|--|
| 2 | Replacement of Starting Capacitor 100-120 MFD | 01 Nos. | | |
| 3 | Replacement of Starting Capacitor 120-150 MFD | 01 Nos. | | |
| G | Replacement of Relay for 1.5 & 2 Ton Window Air Conditioner | 01 Nos. | | |
| H | Replacement of Thermo State for 1.5 & 2 Ton Window Air Conditioner | 01 Nos. | | |
| I | Replacement of Selector Switch for 1.5 & 2 Ton Window Air Conditioner | 01 Nos. | | |
| J | Replacement of PCB for 1.5 & 2 Ton Split Air Conditioner-Inner Unit | 01 Nos. | | |
| K | Replacement of Contractor | | | |
| 1 | Replacement of Contractor for 1.5 Ton Split Air Conditioner- Outer Unit | 01 Nos. | | |
| 2 | Replacement of Contractor for 2 Ton Split Air Conditioner- Outer Unit | 01 Nos. | | |
| 3 | Replacement of Contractor for 3Ton Multi Split Air Conditioner | 01 Nos. | | |
| L | Replacement of Fan Blade/Blower | | | |
| 1 | Replacement of Fan Blade for 1.5 Ton and 2 Ton Window Air Conditioner | 01 Nos. | | |
| 2 | Replacement of Blower for 1.5 Ton and 2 Ton Window Air Conditioner | 01 Nos. | | |
| 3 | Replacement of Blower for 1.5 Ton Split Air Conditioner-Inner Unit | 01 Nos. | | |
| 4 | Replacement of Blower for 2 Ton Split Air Conditioner - Inner Unit | 01 Nos. | | |
| 5 | Replacement of Fan Blade for 1.5 Ton and 2 Ton Split Air Conditioner (Outer Unit) | 01 Nos. | | |
| 6 | Replacement of Fan Blade for 3 Ton Milti Split Air Conditioner | 01 Nos. | | |
| M | Visiting Charges of per Air Conditioner (per day per A.C.) (For 10 days if any complaint in Air Conditioner to visiting date) | 01 Nos. | | |
| N | Air Filter | | | |
| 1 | 1.5 and 2 Ton Window Air Conditioner | 01 Nos. | | |
| 2 | 1.5 and 2 Ton Split Air Conditioner | 01 Nos. | | |
| O | Installation Charge | | | |
| 1 | Installation Charge of Window Air Conditioner (Only Open) | 01 Nos. | | |
| 2 | Installation Charge of Split Air Conditioner (Only Open) 1.5 & 2 Ton | 01 Nos. | | |
| 3 | Installation Charge of Multi Split Air Conditioner (Only Open) | 01 Nos. | | |
| P | Installation and Fitting Charge of Air Conditioner | | | |
| 1 | Installation and Fitting Charge of Window Air Conditioner (All Work) | 01 Nos. | | |
| 2 | Installation and Fitting Charge of Split Air Conditioner (All Work) 1.5 & 2 Ton | 01 Nos. | | |
| 3 | Installation and Fitting Charge of 3 Ton Multi Split Air Conditioner (All Work) | 01 Nos. | | |


कार्य का विवरण

| क्रम. सं. S.No | कार्य/क्रय का विवरण Particulars of Work / Purchase | अनुमानित कार्य/ क्रय की मात्रा Approx Qty. of Work / Purchase | दर Rate | राशि Amount |
|-------------------|---|--|------------|----------------|
| A | Gas Charging Work | | | |
| 1 | Gas Charging of 1.5 Ton Window Air Conditioner | 01 Nos. | | |
| 2 | Gas Charging of 2 Ton Window Air Conditioner | 01 Nos. | | |
| 3 | Gas Charging of 1.5 Ton Split Air Conditioner | 01 Nos. | | |
| 4 | Gas Charging of 2 Ton Split Air Conditioner | 01 Nos. | | |
| 5 | Gas Charging of 3Ton Multi Split Air Conditioner (Single Unit) | 01 Nos. | | |
| B | Compressor Replacement Work | | | |
| 1 | Compressor replacement in lieu of old defective compressor of 1.5 Ton Window/Split Air Conditioner (Make & Specification) | 01 Nos. | | |
| 2 | Compressor replacement in lieu of old defective compressor of 2 Ton Window/Split Air Conditioner | 01 Nos. | | |
| C | Fan Motor Rewinding Work | | | |
| 1 | Fan Motor Rewinding of 1.5 Ton Window Air Conditioner | 01 Nos. | | |
| 2 | Fan Motor Rewinding of 2 Ton Window Air Conditioner | 01 Nos. | | |
| 3 | Split Air Conditioner 1.5 Ton Outer Fan Motor Rewinding | 01 Nos. | | |
| 4 | Split Air Conditioner 2 Ton Outer Fan Motor Rewinding | 01 Nos. | | |
| 5 | Multi Split Air Conditioner Fan Motor Rewinding (outer unit) | 01 Nos. | | |
| 6 | Inner Unit Blower Motor of 1.5 Ton Split Air Conditioner replacement | 01 Nos. | | |
| 7 | Inner Unit Blower Motor of 2 Ton Split Air Conditioner replacement | 01 Nos. | | |
| 8 | Replacement of Outdoor Fan Motor | 01 Nos. | | |
| D | Replacement of Bush & Shaft/Bearing | | | |
| 1 | Bush & Shaft Replacement of 1.5/2 Ton Window Air Conditioner | 01 Nos. | | |
| 2 | Bush & Shaft Replacement of 1.5/2 Ton Split Air Conditioner | 01 Nos. | | |
| 3 | Bearing Replacement of Multi Split Outer Unit Fan Motor | 01 Nos. | | |
| E | Replacement of Running Capacitor | | | |
| 1 | Replacement of Running Capacitor 36 MFD | 01 Nos. | | |
| 2 | Replacement of Running Capacitor 50 MFD | 01 Nos. | | |
| 3 | Replacement of Running Capacitor 60 MFD | 01 Nos. | | |
| 4 | Replacement of Running Capacitor 04 MFD | 01 Nos. | | |
| 5 | Replacement of Running Capacitor 06 MFD | 01 Nos. | | |
| F | Replacement of Starting Capacitor | | | |
| 1 | Replacement of Starting Capacitor 80-100 MFD | 01 Nos. | | |

20. दर अनुबंध के कोटेशन की दरों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर का होगा।
21. कोटेशन की प्राप्ति तारीख से सामग्री/कार्य की दर कायदेश की अवधि के लिए वैध मान्य होगी।
22. प्रस्तावित समय के अन्दर आपको माल/कार्य पहुँचाने/कार्य पूर्ण करने की विफलता की स्थिति में सक्षम अधिकारी, अन्यत्र से माल खरीदने/कार्य करवाने तथा उनकी कीमतों में जो अन्तर आएगा उसे वसूल करने का अधिकारी होगा।
23. कोटेशन में फर्म को पैन/टिन/जी.एस.टी.नम्बर इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना होगा।
24. कोटेशन में दर, जी.एस.टी. एवं अन्य करों का अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट उल्लेख किया जाना होगा और दर में जी.एस.टी. एवं अन्य कर शामिल है या नहीं का स्पष्ट किया जाना होगा।
25. कोटेशन मोहरबंद लिफाफे में पोस्ट/स्पीड पोस्ट में नियत समयावधि में कय अनुभाग में भिजवाना होगा और कय अनुभाग में रखे "निविदा पेटी" (Tender Box) से कोटेशन नियत तिथि को निकाल कर खोले जाएंगे।
26. निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर को बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी कोटेशन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा और किसी भी विवाद के मामले में निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर का निर्णय बाध्यकारी होगा।
27. कोई भी सामग्री मैड इन चाईना की नहीं होनी चाहिए।
28. कोटेशन का विवरण हमारी वेब साइट- <https://afri.icfre.org> पर भी उपलब्ध है।
29. अधिक जानकारी के संबंध में भंडार अधिकारी से सम्पर्क करें। पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कोटेशन प्रस्तुत करें।

संलग्न:- कार्यों एवं शर्तों की सूची।

भवदीय


(मनोज चौहान)
कय अधिकारी
शुष्क वन अनुसंधान संस्थान
जोधपुर

प्रतिलिपि:- कोटेशन खोलने हेतु नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का श्रम करें:

1. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, लेखा अनुभाग, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर।
2. भंडार अधिकारी, भंडार अनुभाग द्वारा-प्रभागाध्यक्षा, सुविधा एवं सेवा प्रभाग, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, सुविधा एवं सेवा प्रभाग, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- आपसे अनुरोध है कि यह कोटेशन आमंत्रण पत्र सूचना को वेब साइट पर देने का श्रम करें।
4. सूचना पट्ट

6. कोटेशन फर्म के लेटर हैड में दिया जाना है। कोटेशन लिफाफे पर वातानुकूलित संयंत्रों की सर्विस एवं मरम्मत कार्य के कोटेशन लिखा होना चाहिये। कोटेशन में दरों में कोई कांट-छांट नहीं होनी चाहिये एवं किसी प्रकार की कांट-छांट होने पर हस्ताक्षर अवश्य करें।
7. उपकरणों में वास्तविक कार्य के अनुसार भुगतान किया जायेगा। कार्य होने के बाद एक माह के अन्दर बिल के भुगतान की कार्यवाही कर दी जायेगी।
8. फर्म के पास सरकारी विभागों में वातानुकूलित संयंत्रों के मरम्मत कार्य करने का अनुभव व संतोषजनक कार्य करने का प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. संबंधी दस्तावेज एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं पंजीयन प्राधिकृत अधिकारी, जोधपुर का पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति कोटेशन के साथ संलग्न की जानी है। प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां कोटेशन के साथ संलग्न नहीं करने पर आपके कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. संलग्न कार्य की सूची में कोई कार्य शामिल नहीं हो, तो उसका भी उल्लेख करते हुए दर दी जानी है।
10. विजिटिंग/सर्विस चार्ज जिस तारीख को वातानुकूलित संयंत्र की जांच की गई है, उस तारीख से अगले 10 दिन के लिए मान्य होगा। दस दिन की अवधि में उस वातानुकूलित संयंत्र में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर उसे ठीक किया जाना होगा। एक वातानुकूलित संयंत्र की जांच का एक विजिटिंग/सर्विस चार्ज ही देय होगा।
11. वातानुकूलित संयंत्रों की मरम्मत एवं सर्विस कार्यों में प्रयोग में लाये जाने वाले औजार, सिडिया इत्यादि की व्यवस्था फर्म को स्वयं के खर्च पर करना होगा।
12. वातानुकूलित संयंत्रों की सर्विस करने पर विजिटिंग/सर्विस चार्ज नहीं दिया जायेगा।
13. वातानुकूलित संयंत्र में सर्विस कार्य के दौरान उस संयंत्र में खराबी होने पर उसे ठीक किया जायेगा और उन्ही वातानुकूलित संयंत्रों की सर्विस की जाएगी, जो सही स्थिति में कार्य कर रहे हो।
14. उपकरणों में बदली किये जाने वाले एवं नये लगाये गये पार्ट्स/कम्प्रेसर इत्यादि के सिरियल नम्बर का उल्लेख विपत्र में किया जायेगा। पुराना पार्ट्स/कम्प्रेसर इत्यादि फर्म को ही लेना होगा।
15. उपकरण में लगने वाली मोटर एवं कम्प्रेसर की गारण्टी का उल्लेख विपत्र में किया जाना होगा।
16. संलग्न सूची में दर का उल्लेख करने के बाद सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर किये जाने हैं एवं फर्म की मोहर लगायी जानी है।
17. उपकरण या उसके किसी पार्ट्स/कम्प्रेसर को संस्थान से बाहर ले जाने हेतु गेट पास लिया जाना होगा। मरम्मत कार्य हेतु लिये जाने वाले समस्त सामान (धोडा पाटिया इत्यादि) फर्म द्वारा लाना होगा।
18. संलग्न सूची के सभी आइटमों की दरों को मिलाकर, जो न्यूनतम दर या कुल राशि में से जो राशि न्यूनतम होगी, उसी फर्म को कार्य हेतु आमंत्रित किया जायेगा। अनुमोदित कार्य/सामग्रियों की दरे एक वर्ष तक लागू रहेगी।
19. कार्य आदेश जारी होने के साथ जो भी शर्तें दी जायेगी -वह फर्म को मान्य होगी।